



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND  
 CLIMATE CHANGE**  
 एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / **Integrated Regional  
 Office, Chandigarh**



F.No.-: 9-HRB045/2021-CHA

दिनांक: 30-03-2021

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),  
 हरियाणा सरकार,  
 हरियाणा सिविल सचिवालय,  
 चण्डीगढ़।  
 ([fcforest@hry.nic.in](mailto:fcforest@hry.nic.in))

**विषय:** Diversion of 0.0119 ha of forest land in favour of Trust Virasat Heritage for access to setting up a Virasat Heritage Village owned by the Trust Virasat Heritage, Village Masana, Tehsil Thanesar, under Forest Division and District Kurukshetra, Haryana. (Online proposal No. FP/HR/Approach/46697/2020)-regarding.

संदर्भ (i) State Government online proposal received on dated 19.03.2021.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त विषय हेतु 0.0119 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए **सैधांतिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

- i. प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।
- ii. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजैट वैल्यू जमा करवाई जाये।
- iii. प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट [www.parivesh.nic.in](http://www.parivesh.nic.in) पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाएंगे।
- iv. User agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

- i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्ष नहीं काटा जाएगा।
- iii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।

- iv. साथ लगे वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगे हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
- v. जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बड़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।
- vi. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- vii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- viii. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी (पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- ix. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
- x. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय - समय पर लगाई जा सकती है।
- xi. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन न जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

4. उपरोक्त पैरा -2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। केंद्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

हस्ता/-

(सी०डी०सिंह)

क्षेत्रीय आधिकारी

IRO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज, नई दिल्ली। ([adgfc-mef@nic.in](mailto:adgfc-mef@nic.in))
2. PCCF (HoFF), Forest Department, Government of Haryana, C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. ([pccf-hry@nic.in](mailto:pccf-hry@nic.in))
3. APCCF-cum-Nodal Officer, Forest Department, Government of Haryana, C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana ([cffcpanchkula@gmail.com](mailto:cffcpanchkula@gmail.com))
4. Divisional Forest Officer, Forest Division District Kurukshetra Haryana. ([dfokkr-hry@nic.in](mailto:dfokkr-hry@nic.in))
5. VIRASAT HERITAGE VILLAGE, 620 Sector - 5 Kurukshetra, Haryana. ([virasatheritagevillage@gmail.com](mailto:virasatheritagevillage@gmail.com))